न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पदेन सहायक कलक्टर हमीरगढ जिला भीलवाड़ा (राज.)
पीठासीन अधिकारी – झंवर लाल (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :–49 / 2024

उनवान

1. किशन लाल तेली पुत्र श्री देवी लाल तेली नि0 पीपली तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज0)

.... वादी

बनाम

1. मोहनी देवी पुत्री श्री गाडरी नि0 पीपली तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज0)
2. श्री हीरा गाडरी पुत्र श्री नन्दा गाडरी नि0 पीपली तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज0)
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, हमीरगढ़ जिला भीलवाडा (राज०)

..... प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत् कब्जा दिलाये जाने हेतु

उपस्थित :::–

अधिवक्ता वादीगण –श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान उप0
प्रतिवादीगण संख्या 01, 02 अनु0
राज्य पक्ष की ओर से पेरोकार सरकार

–:: निर्णय ::–

दिनांक 19.05.2026

सक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि यह है कि यह है कि सरहद पीपली पटवार हल्का पीपली भू0अ0नि0 क्षेत्र मंगरोप तहसील हमीरगढ जिला भीलवाड़ा (राज०) के आराजी नम्बर 1115 / 1 रकबा 0. 3667 है0 एवं आराजी नम्बर 1390 / 1117 रकबा 0.1517 है0 भूमि अन्य आराजियात के साथ जो कि राजस्व रेकार्ड मे वादी के नाम पर खातेदार हक अधिकार से दर्ज चली आ रही है। यह है कि वादी वादपत्र की चरण संख्या 11 में वर्णित आराजीयात पर काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है तथा वादी ने उक्त आराजीयात्त की पत्थरगढी कराने हेतु एक प्रार्थनापत्र न्यायालय श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय, हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत किया जिसके प्रकरण संख्या 118 / 2023 राजस्व प्रार्थनापत्र कायम हुए, जिसका निर्णय दिनांक 09 मई 2024 को हुआ, जिसकी जानकारी प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 02 जो कि पुत्री, पिता है को होने पर प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 02 वादी की आराजी नम्बर 1115 / 1 में से 0.0253 हैक्टयर एवं आराजी नम्बर 1390 / 1117 रकबा 0.0126 हैक्टयर पर अवैध कब्जा कर लिया गया जिससे दिनांक 25 पच्चीस जून 2024 दो हजार चौबीस को उक्त आराजीया। पत्थरगढी गिरदावर व पटवार हल्का द्वारा मौका निरीक्षण

कर की गयी, जिसमे प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 02 का आराजी नम्बर 1115/1 में से 0.0253 हैक्टयर एवं 1390/1117 में से 0.0126 हैक्टयर पर अवैध कब्जा कब्जा पाया गया। वादीगण की आराजीयात से प्रतिवादी संख्या 01 एक से 02 का कोई हक अधिकार नही है। यह है कि वादी ने प्रतिवादी संख्या 01 एक से 02 दो को कई बार वादपत्र की चरण संख्या 01 एक में वर्णित वादी की आराजी पर प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 02 द्वारा आराजी नम्बर 1115/1 में से 0.0253 हैक्टयर एवं 1390/1117 मे से 0.0126 हैक्टयर पर भूमि पर किये गये अवैध कब्जे को छोडने हेतु कहा लेकिन प्रतिवादी सख्या 01 एक से 02 दो ने कोई ध्यान नही दिया व अन्तिम बार वादी ने दिनांक 10 अक्टूम्बर 2024 को उनके द्वारा भूमि पर किये गये कब्जे को छोड़कर, उक्त भूमि का कब्जा वादी को सिपुर्द करने हेतु कहा तो प्रतिवादी संख्या 01 से 02 दो वादी के साथ लडाई झगडा करने पर आमादा हो गये तथा प्रतिवादी संख्या 01 एक से 02 दो ने वादी को धमकी दी कि वादी की मर्जी आये जो कर लेना प्रतिवादी संख्या 01 से 02 दो उक्त आराजीयात से कब्जा नही छोडेगे तथा वादी प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 02 का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इस कारण से वादी को यह वादपत्र पेश करने की नौबत पेश आगी है। वादी के पक्ष मे एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 02 के विरूद्ध इस आशय की कब्जेयाबी की डिक्री सादिर फरमायी जाना आवश्यक है कि प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 02 दो द्वारा सरहद पीपली पटवार हल्का पीपली भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मंगरोप तहसील हगीरगढ़ जिला भीलवाडा (राज०) ने आराजी नम्बर 325 रकबा 0.2024 हैक्टयर के दक्षिणी मेड़ पर 0.0225 हैक्टयर भूमि पर किये गये कब्जे को हटाकर पुनः वादी को सिपुर्द कराया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। यह है कि वादी को प्रतिवादीगण के विरूद्ध बिनाय वाद दिनांक माह अप्रेल 2024 को कब्जा कर लेने व दिनांक 22 मई 2024एवं दिनांक 10 दस जून 2024 को कब्जा छोडने से इंकार कर देने से से उत्पन्न होकर निरन्तर रूप से जारी है।

अतः वादी सादर प्रार्थना करता है कि वादी के पक्ष मे एवं प्रतिवादी संख्या 01 एक लगायत 03 के विरुद्ध इस आशय की कब्जेयाबी की डिकी सादिर फरमायी जाना आवश्यक है कि प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 तीन द्वारा सरहद जवासिया पटवार हल्का दूडिया भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बरडौद तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा मे आराजी नम्बर 1115/1 में से 0.0253 हैक्टयर एवं 1390/1117 में से 0.0126 हैक्टयर भूमि पर किये गये कब्जे को हटाकर पुनः वादी को सिपुर्द कराया जाने की कब्जेयाची डिकी वादीगण के पक्ष मे एवं प्रतिवादी संख्या 01 एक से 02 दो के विरूद्ध सादिर फरमायी जावे।

वादी वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण संख्या 01,02 बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से प्रतिवादीगण संख्या 01,02 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादी ने अपनी एकतरफा साक्ष्य में स्वयं वादी किशन लाल तेली पुत्र श्री देवी लाल तेली नि० पीपली तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज०) के शपथपत्र प्रस्तुत किये और दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबंदी संवत 2075–2078 की प्रति, पत्थरगढ़ी प्रकरण सं. 118/2023 पारित आदेश दिनांकित

09–05–2024 की पालना में रेवेन्यू इन्स्पेक्टर व पटवारी हल्का ने दिनांक 25–06–2024 को वादग्रस्त आराजियात के मौके पर जाकर पर्चा मौका बनाये जिनकी प्रमाणित प्रतियां साक्ष्य में प्रस्तुत की गयी।

वकील वादी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। वकील वादी ने बहस के दौरान बताया की वादी उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार है। उक्त भूमि पर प्रतिवादीगण ने जबरन कब्जा कर लिया गया है। इस कारण उक्त भूमि का कब्जा वादी को दिलाये जावे। मैने वकील वादी की एक पक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। बाद अवलोकन से स्पष्ट है की विवादित भूमि वादी के खाते चली आ रही है। उक्त भूमि के वादी खातेदार काश्तकार है। जिसकी ताईद प्रस्तुत जमाबन्दी नकल सम्वत् 2075–2078 से होती है। वादी के खातेदारी भूमि पर प्रतिवादीगण द्वारा मौके पर कब्जा कर लिया है। जिसकी ताईद प्रस्तुत पत्थरगढी मौका पर्चा से होती है। जिससे न्यायालय वादी के वाद पत्र को स्वीकार किया जाना उचित समझता है।

—:: आदेश ::—

अतः वादी की ओर से प्रस्तुत किया गया राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत कब्जा दिलाये जाने हेतु स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 01,02 ने वादी की ग्राम जवासिया पटवार हल्का दूडिया भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बरडौद तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा मे आराजी नम्बर 1115/1 रकबा 0.3667 है0 पर रकबा 0.0253है0 एवं 1390/1117 रकबा 0.1517 है0 में सें 0.0126है0 पर प्रतिवादी संख्या 01,02 द्वारा अवैध कब्जा कर रखा है उससे उसे बेदखल किया जाकर इस भूमि का कब्जा पुनः वादी को दिलाया जाने बाबत् बेदखली आराजियात की डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण पारित की जाती है ।

तहसीलदार हमीरगढ डिक्री अनुसार वादी को उक्त भूमि का कब्जा प्रतिवादी सं. 01,02 से दिलाया जाना सुनिश्चित करे। खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करे । निर्णय अनुसार डिक्री मुर्तिब की जावे । निर्णय दिनांक 19.05.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(झंवर लाल, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर हमीरगढ़
जिला भीलवाड़ा (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पदेन सहायक कलक्टर हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज.)

: : मूल वाद मे अन्तिम डिक्री : :

{आदेश 20 नियम 6, 7 जा0दी0}

पीठासीन अधिकारी – झंवर लाल, (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :–49 / 2024

उनवान

1. किशन लाल तेली पुत्र श्री देवी लाल तेली नि0 पीपली तह0 हमीरगढ़ जिला भीलवाडा(राज0)

.... वादी

बनाम

1. मोहनी देवी पुत्री श्री गाडरी नि0 पीपली तह0 हमीरगढ़ जिला भीलवाडा (राज0)
2. श्री हीरा गाडरी पुत्र श्री नन्दा गाडरी नि0 पीपली तह0 हमीरगढ़ जिला भीलवाडा (राज0)
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, हमीरगढ़ जिला भीलवाडा (राज०)

..... प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बावत् कब्जा दिलाये जाने हेतु

उपस्थित :::–

अधिवक्ता वादीगण –श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान उप0

प्रतिवादीगण संख्या 01, 02 अनु0

राज्य पक्ष की ओर से पेरोकार सरकार

दिनांक 19–05–2026

वादी की ओर से श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान ,एडवोकेट और प्रतिवादी सं. 01,02 अनु0 राज्य पक्ष की ओर से पेरोकार सरकार की उपस्थिति मे इस वाद के आज दिनांक 19–05–2026 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि और डिक्री की जाती है कि ––और इस मद के खर्चे लेखो प्रतिशत रूपयो की राशि आज तारीख से वसूली तारीख तक उस पर प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित द्वारा राशि –– को दी जायें।

वाद–पत्र डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण वादीगण की ओर से प्रस्तुत किया गया राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत कब्जा दिलाये जाने हेतु स्वीकार किया जाकर ग्राम जवासिया पटवार हल्का दूदिया भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बरडौद तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा मे आराजी नम्बर 1115 / 1 रकबा 0.3667 है0 पर रकबा 0.0253है0 एवं 1390 / 1117 रकबा 0.1517 है0 में सें 0.0126है0 पर प्रतिवादी संख्या 01,02 द्वारा अवैध कब्जा कर रखा है उससे उसे बेदखल किया जाकर इस भूमि का कब्जा पुनः वादी को दिलाया जाने बाबत् बेदखली आराजियात की डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण पारित की जाती है ।

तहसीलदार हमीरगढ डिक्री अनुसार वादी को उक्त भूमि का कब्जा प्रतिवादी सं. 01,02 से दिलाया जाना सुनिश्चित करे। खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करे ।

आज यह अन्तिम डिक्री दिनांक 19–05–2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी गयी।

(झंवर लाल, आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर हमीरगढ
जिला भीलवाड़ा (राज.)